Sanitary condition in slum areas of Delhi

4171. SHRI BISHAMBHAR NATH PANDE: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the insanitation in the slums numbering in thousands and sheltering around 1.5 million of the total population of the country's capital is appalling;

(b) if so, what measures Government have taken to ensure sanitary facilities for the slum dwellers; and

(c) the voluntary organisations active in the welfare of the slum areas of Delhi for the betterment of the life of the slum dwellers and what assistance and encouragement is being given to them by the Government?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

सभी के लिए चिकित्सा सुविधाएं

4172. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठ मलानी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 1983 में एक स्वास्थ्य नीति तैयार की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उक्त नीति के अंतर्गत 2000 ईस्वी तक सभी व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि हेतु अब तक सरकार द्वारा किए गए उपायों के संबंध में कोई विश्लेषण कराया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है और क्या सरकार का ध्यान नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण वर्ष 1990 के प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है, जिसमें इस स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों के बारे में उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रति[illegible] मद्दे नजर रख[illegible] देश की [illegible]वश्यकताओं के अनुसार एक नई [illegible]ति की घोषणा करने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1983 की स्वास्थ्य नीति में देश के सभी लोगों के लिए सन 2000 ईस्वी तक व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवायें प्रदान करने की बात कही गई है ।

(ग) जी हां ।

नमूना पंजीयन पद्धति, 1990 [illegible] बातों के साथ-साथ प्रजननता तथा मृत्युदर सूचकों संबंधी आंकडे रखे जाते हैं । नीचे दी गई सारणी में स्वास्थ्य नीति दस्तावेज में प्रतिपादित जनांकिकी लक्ष्य तथा उपलब्धियों के मौजूदा स्तर दर्शाए गए हैं ।—

सूचक	लक्ष्य 1990	उपलब्धि 1990
I. अशोधित जन्मदर (प्रति 1000 आबादी)	29.1	30.2
II. अशोधित मृत्युदर (प्रति 1000 आबादी)	10.4	9.07
III. सहज वृद्धि दर (प्रतिशत)	1.87	2.05
IV. शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)	90	80
V. दम्पती सुरक्षा दर (प्रतिशत)	42.0	43.3

(ङ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के विभिन्न लक्ष्यों और उद्देश्यों के संबंध में हुए कार्य की समीक्षा की जा रही है ताकि इस नीति में निर्धारित लक्ष्य सन 2000 ईस्वी तक प्राप्त किए जा सकें।

देश में जहरीली और मिलावटी शराब के कारण हुई मौतें

4173. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान जहरीली और मिलावटी शराब पीने के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए अन्धे हो गए और अन्य प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होकर कार्य करने के लिए अयोग्य हो गए व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) इस मिलावटी और जहरीली शराब में राज्यवार किन-किन तत्वों की मिलावट पायी गयी ;

(ग) जहरीली और मिलावटी शराब बनाने और बेचने का अबैध व्यापार करने के संबंध में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और न्यायालयों द्वारा दंडित किए गए व्यक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं ; और

(घ) इस प्रकार की अकाल मृत्यु को रोकने के लिए सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० शईद) : (क) और (ख) जहरीली शराब और मिलावटी औषधियों और दवाओं का सेवने करने से वर्ष 1990, 1991 और 1992 के दौरान सूचित हुई राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार हुई मौतों के उपलब्ध आकडे का विवरण अनुपत्र में दिया गया है [देखिए परिशिष्ट 166, अनुपत्र संख्या 67] अंधे हो गए अथवा अन्य बीमारियों से ग्रस्त पीडितों, जिसके कारण कार्य करने आदि के लिए अयोग्य हो गए व्यक्तियों के बारे में अलग से सूचना तथा जहरीली और मिलावटी शराब में प्रयोग किए गए अन्य घटकों के ब्यौरे की सूचना के राज्यवार ब्यौरे केंद्रीय एजेसियों द्वारा संकलित किए जाते हैं ।

(ग) और (घ) अबैध शराब की बिक्री और निर्माण सहित, अपराधों को दर्ज करना, उनकी जाच पडताल करना; उनका पता लगाना तथा उसकी रोकथाम करना संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है । न्यायालयों द्वारा दंडित किए गए व्यक्तियों के बारे में आंकडे, केन्द्र सरकार की एजेंसियों द्वारा नहीं रखे जाते हैं । तथापि, अवैध शराब का उत्पादन एवं उसकी बिक्री को ररोकने के लिए और साथ ही शराब में मिलावट के लिए घातक पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण के लिए सरकार ने दिनांक 14 नवम्बर, 1991 को सभी राज्य औषध नियंत्रणों को निर्देश जारी किए हैं कि वे प्राथमिकता के आधार पर सभी निर्माता फर्मो का निरीक्षण करें । "पलसन्ना" के अधीन पर शोधित स्प्रिट के प्रयोग को अनुमति वापस ले ली गई है । आयुर्वेदिक दवाई के रूप में नकली शराब बेचे जाने की सम्भावना को खत्म करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की दिनांक 2 दिसम्बर, 1992 को एक अधिसूचना जारी की है ।

परिवार कल्याण केन्द्रों को बन्द किया जाना

4174. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री राम जेठ मलानी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 दिसम्बर, 1992 के दैनिक समाचार-पत्र "पॉयनियर" में "गवर्मेंट में वाईड-अप फैमिली वैलफेयर सैंटर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ परिवार कल्याण केन्द्रों को बन्द करने का निर्णय ले लिया है ;